भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3536
जिसका उत्तर मंगलवार 11 अगस्त, 2015 को दिया जाना है

एचईसी के कर्मचारियों की सांविधिक बकाया राशि

3536. श्री राम टहल चौधरी:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के कर्मचारियों को पिछले दो वर्षों से उपदान और पेंशन लाभ नहीं प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उक्त बकाया राशि के भुगतान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) उक्त बकाया राशियों के भुगतान में सरकार को कितना समय लगने की संभावना है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री जी. एम. सिद्देश्वर)

(क) और (ख): एचईसी द्वारा उन सभी कर्मचारियों/पूर्व-कर्मचारियों को पेंशन लाभ का भुगतान किया जा रहा है, जो कर्मचारी पेंशन स्कीम के अंतर्गत ईपीएफओ द्वारा इसे पाने के पात्र हो गए हैं।

एचईसी ने सूचित किया है कि उन्होंने उन सभी कर्मचारियों को उपदान का भुगतान कर दिया है जो 31.03.2014 या इससे पहले सेवानिवृत्त हो गए हैं अथवा जिनका देहांत हो गया है।

तथापि, एचईसी अपवादात्मक परिस्थितियों को छोड़कर, 31.03.2014 के पश्चात् सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को उपदान का भुगतान करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि कंपनी अत्यधिक वित्तीय संकट का सामना रही है।

(ग) और (घ): वर्ष 2014 में एचईसी को एकबारगी सहायता के रूप में ₹47.89 करोड़ का ऋण उपलब्ध कराया गया था ताकि वह अपने कर्मचारियों को 31.03.2014 तक संचित उपदान देयों के भुगतान करने में समर्थ बन सके। आशा है कि जैसे ही एचईसी की वित्तीय हालत में सुधार होगा वह अपने उन कर्मचारियों को उपदान देयों का भुगतान करेगी जो 31.03.2014 के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं।

****